न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय्–सह विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), समस्तीपुर।

***रोसड़ा थाना काण्ड सं0 216/20*, कम्पयूटर निबंधन सं0 700/20**

14.6.21 आवेदक**1. राहुल कुमार सिंह, पिता–सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–एरौत, थाना–रोसड़ा, जिला–समस्तीपुर,** जो रोसड़ा थाना काण्ड सं0 216/20, धारा–272, 273/34 भा0द0वि0 एवं धारा–30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत अभियुक्त है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती किरण सिंह के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उनके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसका जमानत मान्नीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा क्रि0मिस0 39623/20 में पारित आदेश दिनांक 2.6.21 से हो चुका है। अतः उसे बंद्य–पत्र दाखिल करने की अनुमति देने की कृपा की जाए।

विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर दाखिल क्रि0मिस0 39623/20 में पारित आदेश दिनांक 2.6..21 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/–रू0(दस हजार रू0) के बंद्य–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर दं0प्र0सं0 की धारा–438((2) में वर्णित शर्तो के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त करने का आदेश है।

अतः उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत आवेदक अभियुक्त को बंद्य–पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।

(लेखापित)

वि0 न्या0 उत्पाद

पश्चात *उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से बंद्य–पत्र दाखिल किया गया जिसे जॉचोरपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।*

वि0न्या0उत्पाद